माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष

RS46 PBR/17.

(40)

तुलसीदास पिता मानदास वैरागी निवासी–ग्राम धतुरिया,

तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. सरपंच, ग्राम पंचायत धतुरिया,
2. सचिव, ग्राम पंचायत धतुरिया
3. रामेश्वर पिता दरियावरसिंह राजपुत,
4. देवीसिंह पिता माधुसिंह राजपुत,
5. दिनेश पिता नाथुसिंह पडियार,
6. संतोष पिता नाथूसिंह पडियार,
7. भगवानसिंह पिता शंकरसिंह राजपुत
8. भारतसिंह पिता हरिराम राजपुत

समस्त निवासीगण–ग्राम धतुरिया तहसील पेटलावद

जिला झाबुआ म.प्र. ....विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भु.राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

सदर की निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण कमांक 30/ बी–121/2015–16 (पुराना प्रकरण कमांक 193 बी–121/2015–16) मे पारित प्रोसेडिंग आदेश दिनांक 30.01.2017 से असंतुष्ट होकर मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा गया है) की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश है।

निरंतर.... 2 पर...

तुलसीदास

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 546-पीबीआर/2017 जिला झाबुआ

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	